

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक /रीडर/ 2021/ 25

दिनांक 12.2.21

मुकदमा नंबर 423/2017

प्राथी	बनाम	विप्राथीगण
1. मूलाराम पुत्र श्री लाभूराम जाति जाट 2.आईदानाराम पुत्र श्री लाभूराम जाति जाट 3.कानाराम पुत्र श्री लाभूराम जाति जाट 4.जुगताराम पुत्र हुकमाराम जाति जाट 5.सुखाराम पुत्र हुकमाराम जाति जाट 6.श्रीमति गोपीदेवी पत्नी हुकमाराम जाति जाट निवासी ग्वालनाडा,तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		1.आदाराम पुत्र किसनाराम 2.करनाराम पुत्र किसनाराम 3.सुभाषराम पुत्र देवाराम 4.राजूराम पुत्र देवाराम 5.चूनाराम सुरताराम 6.मालाराम पुत्र सूरताराम 7.चिमाराम पुत्र सूरताराम 8.रुकीदेवी पत्नी सूरताराम 9. देवाराम पुत्र फूसाराम 10.बाबूराम पुत्र फूसाराम 11.अगराराम पुत्र फूसाराम 12.सरपंच जरिये ग्राम पंचायत ग्वालनाडा 13.अधिशाली अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग बालोतरा जरिये सहायक अभियन्ता 14.राजस्थान सरकार जरिये तहसील पचपदरा

आदेश

दिनांक-12.2.21

उपर्युक्त,प्रकरण मौजा ग्वालनाडा में खसरा नंबर 623/204 रकबा 61 बीघा 10 विस्वा सरहद विवादित खसरा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्राथीगण व अप्राथीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पथगढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर)कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं,जो प्राथीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें



क्रमांक /रीडर/ 2021/ 26-30

1. तहसीलदार पचपदरा पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. सम्बन्धित थानाधिकारी पुलिस थानाको पालना हेतु
3. पटवारी ग्वालनाडा .पटवार क्षेत्र ग्वालनाडा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर। को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि का मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
4. प्राथीगण मूलाराम पुत्र श्री लाभूराम जाति जाट निवासी ग्वालनाडा,तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
5. विप्राथीगण आदाराम पुत्र किसनाराम

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा
दिनांक 12.2.21

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

